मेसर्स चित्रकूट रोपवेज प्राइवेट लि0 निकट लक्ष्मण पहाडी ग्राम–खोही, कर्वी, जनपद– चित्रकूट (उ0प्र0) क्षेत्रफल– 9629.9 वर्गमी0, एलीवेशन–200 मी0 एवं एलाइमेन्ट लेन्थ–556.99 मी0 का प्रस्ताव मेसर्स परफेक्ट इनवारोसेलोशन प्राइवेट लि0 पांचवा तल एन एल मार्ग सेक्टर 3 रोहडी नई दिल्ली द्वारा बोर्ड मुख्यालय लखनऊ मे प्राप्त कराये जाने के उपरान्त पर्यावरण संरक्ष्ण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533 अ दिनांक 14.9.2006 यथा संशोधित एस0 ओ03067 ई दिनांक 1. 12.2009 के प्राविधानो के अनुपालनार्थ पर्यावारण स्वीकृति हेतु दिनांक 27.01.2017 को पूर्वान्ह 11–30 बजे प्रस्तावित परियोजना स्थल लक्ष्मण पहाडी ग्राम खोही कर्वी जनपद चित्रकूट (उ0प्र0) पर श्री विजय नरायण पाण्डेय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व चित्रकूट अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता मे सम्पन्न लोकसुनवाई की कार्यवृत्तः–

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0 एफ 92171/ सी–2/एन ओ सी–4193/2016 दिनांक 19.12.2016 जोकि जिलाधिकारी महोदया जनपद चित्रकूट को संबोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, के अनुकम में जिलाधिकारी महोदया जनपद चित्रकूट द्वारा उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोकसुनवाई के लिए तिथि/स्थल/समय की सहमति/अनुमति प्रदान करने के उपरान्त क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांदा द्वारा प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रो अमर उजाला (हिन्दी) एवं दि इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) मे प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.12.2016 के उपरान्त दिनांक 27.1.2017 को पूर्वान्ह 11–30 बजे प्रस्तावित परियोजना स्थल लक्ष्मण पहाडी ग्राम खोही कर्वी जनपद चित्रकूट (उ0प्र0) पर जिलाधिकारी महोदया जनपद चित्रकूट द्वारा नामित अधिकृत प्रतिनिधि अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं राजस्व) जनपद चित्रकूट की अध्यक्षता मे लोकसुनवाई आयोजित कीगई जिसकी कार्यवृत्त का विवरण निम्नवत है।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उक्त प्रस्तावित परियोजना पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के समय सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बांदा द्वारा उक्त अवसर पर उपस्थित अधिकारियो/कर्मचारियो एंव जन समूह का अभिवादन करते हुए उक्त परियोजना के विषय मे संक्षिप्त रूप से अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना उ0प्र0 पर्यटन एवं मेसर्स रोपवेज प्राइवेट लि0 चित्रकूट के बीच पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कामद्गिरि परिकमा मार्ग मे लक्ष्मण पहाडी पर रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। जिसका क्षेत्रफल– 9629.9 वर्गमी0, एलीवेशन–200 मी0 एवं एलाइमेन्ट लेन्थ–556.99 मी0 प्रस्तावित है। इस परियोजना के सम्बन्ध मे विस्तृत विवरण से अवगत कराने हेतु श्री प्रवीण भार्गव प्रबन्ध निदेशक परामर्शी मेसर्स परफेक्ट इनवायरो सेलुशन प्राइवेट लि0 नई दिल्ली से अनुरोध किया गया ।

Scanned by CamScanner

परियोजना का विवरण–

श्री प्रवीण भार्गव प्रबन्ध निदेशक परामर्शी मेसर्स परफेक्ट इनवायरो सेलुशन प्राइवेट लि0 नई दिल्ली, द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना स्थल लक्ष्मण पहाडी नाम से प्रसिद्ध है जो चित्रकूट धाम कर्वी जनपद चित्रकूट उ0प्र0 के बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे स्थित है यह हवाई रज्जुमार्ग परियोजना है जिसकी लम्बाई 256.99 मी0 है। हेजो कि ई0आई0ए0 मोटिफिकेशन 2006 के अनुसार शिड्यूल 7 जी के अन्तर्गत आती है और परियोजना क्षेत्र के 5 कि0मी0 के अन्दर मध्य प्रदेश राज्य की सीमा आने के कारण यदह श्रेणी ए परियोजना है रज्जूमार्ग का निर्माण एक चरण मे किया जायेगा जिसका उपरी टर्मिनल विन्दु लक्ष्मण मन्दिर के उत्तरी भाग मे और निचला टर्मिनल बिन्दु जो कि वनभूमि मे है परिकमा मार्ग के दक्षिणी भाग मे स्थित है परियेजना की कुल वहन क्षमता 452 पी पी एच है। इस परियोजना की अनुमानित लागत रू0 874.62 लाख है। इस परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृत प्राप्त करने हेतु अगस्त 2016 मे नाबिट एप्रूव सलाहकार से सम्पर्क कर पर्यावरणीय स्वीकृति का आवेदन दिनांक 14.9.2016 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार को जमा करने एवं प्रस्तुतीकरण दिनांक 24.10.2016 को किये जाने के उपरान्त पत्रांक 10–68/2016–I ए–III को दिनांक 28.11.2016 को भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित टर्म आफ रिफरेन्स सशर्त निर्गत किया गया था। ईआईए को फील्ड मानीटरिंग और एकत्रित सेकेन्डरी आंकडो के आधार पर तैयार किया गया है।

इस परियोजना मे कुल 9629.9 वर्ग मी0 भूमि की आवश्यकता होगी जिसमे रज्जुमार्ग की लम्बाई 256.99 मी0, केबिनो की सं0 6 अप एवं डाउन संयुक्त रूप मे प्रत्येक केबिन की क्षमता 6 व्यक्ति 1 फेरे मे लगा समय 2.39 मिनट प्रतिदिन कार्य की अवधि 10 घंटे होगी जिसे आवश्यकता अनुसार अधिकतम 22 घंटे तक बढाया जा सकता है तथा यह रज्जुमार्ग मोनो केबिल फिक्स ग्रिप गोन्डोला रज्जुमार्ग पर आधारित है।

इस परियोजना मे दैनिक अधिकतम 4550 व्यक्तियो की उपस्थिति जिसमे 30 संस्था के अधिकारी/कर्मचारी भी सम्मिलित है की सम्भावना है। जिनके द्वारा लगभग 32 कि0ली0 जल का उपयोग किया जायेगा जिसके उपरान्त लगभग 24 कि0ली प्रतिदिन घरेलु उत्प्रवाह जनित होगा जिसके शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं बायोलेजिकल टीटमेन्ट टैंक की स्थापना की जायेगी तथा शुद्धिकरण के उपरान्त उत्पन्न उत्प्रवाह को अधिकांश मात्रा मे पुनः उपयोग किया जायेगां

उक्त परियोजना मे मुख्य ग्रिड से प्राप्त बिजली का प्रमुख रूप से उपयोग किया जायेगा तथा डी0 जी0 शेट 01 नग क्षमता 120 केबीए की स्थापना वैकल्पिक व्यवस्था के रूप मे एलटीपी के पास की जायेगी जो कि केनोपी युक्त होगा तथा डीजी शेट से उत्पन्न एक्जास्ट गैसो के उत्सर्जन हेतु निर्धारित उचाई की एक्जास्ट स्टैक की व्यवस्था

Scanned by CamScanner

की जायेगी इस परियोजना की स्थापना की अवधि मे उत्पन्न वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी आवश्यकतानुसार समय समय पर पानी का छिडकाव कर धूल उत्सर्जन को नियंत्रित किया जायेगा। धूल उत्सर्जन वाली जगाहे पर कार्य श्रमिको को मास्क दिये जायेगे निर्माणाधीन स्टेशनो को हरे रंग के कपडे से ढका जायेगा जे0सी0बी0 डस्ट कलेक्टर का प्रयोग डिलिंग कार्य से उत्पन्न धूल को एकत्रित करनेमे किया जायेगा इस परियेाजना मे प्रयोग किये जाने वाले वाहनो जिसमे बिलडिंग मैटेरियल का टांसपोटेशन किया जायेगा उसको त्रिपाल से ढककर तथा प्रदूषण मुक्त पीयूसी प्राप्त वाहनो द्वारा किया जायेगा।

ध्वनि प्रदूषण प्रमुख रूप से निर्माण कार्य मे प्रयुक्त उपकरण डी0जी0 शेट एवं अन्य गतिविधियां जैसे हैमरिंग,डिलिंग आदि व यातायात से होगें, जिसके नियंत्रण के लिए मशीनो को बन्द कमरें मे कम्पनरोधी पैड पर स्थापित किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु प्रयुक्त मोटर वाहनो मे हार्न का प्रयोग कम से कम किया जायेगा तथा पुराने वाहनो का प्रयोग नही किया जायेगा ।

इस परियोजना से उत्पन्न ठोस अवशिष्ठ लगभग 683 किग्रा0/दिन ठोस अवशिष्ठ के निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी जिसमे से लगभग 205 किग्रा0/दिन रिसाइकलेबिल ठोस अवशिष्ठ को रिसाइकिल किया जायेगा तथा अवशिष्ठ बायोडिगेबिल ठोस अवशिष्ठ के शुद्धिकरण हेतु एमएसडब्लू प्लान्ट स्थापित कर कम्पोस्ट तैयार किया जायेगा जिसका उपयोग पेड पौधो मे मैन्यूर के रूप मे किया जायेगा।

उक्त परियोजना मे परिसंकटमय अवशिष्ठ के रूपीमे डी0जी0शेट एवं प्रयुक्त मशीनो से उत्पन्न यूज्ड लुबिरेकेटिंग आयल को निस्तारण हेतु पंजीकृत रिसाइकलर्स को बेच दिया जायेगा तथा इसका अस्थाई भंडारण एवं रखरखाव उचित रूप मे किया जायेगा जिससे कि इसका पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा।

परियोजना की उपयोगिता

इस परियोजना के संचालन से सामाजिक अर्थ व्यवस्था सुदृढ होगी तथा परियोजना क्षेत्र मे इसी प्रकार का मानव जनसख्ँया का विस्थापन अथवा अपजन नही होगा, इस परियोजना से रोजगार के अवसर उपलब्ध होगे तथा पर्यटक/तीर्थयात्रियो की सख्ँया मे वृद्ध होने की सम्भावना है जिससे कि उ0प्र0 राज्य के राजस्व मे वृद्धि होगी बृजुर्गो बच्चो विकलांगो एवं ऐसे लोगो को जिनको इस पवित्र स्थान पर आने जाने मे असुविधा होती थी वह सुरक्षित एव सुविधाजनक यात्रा कर सकेंगें

सुरक्षा के उपाय एवं आपातकाल प्रबन्धन–

इस परियोजना में सम्पूर्ण रज्जू मार्ग की संरचना स्टील संरचना कंकरीट बेस पर बनायी जायेगी जिसकी मरम्मत एवं रखरखाव नियमित रूप से किया जायेगा। रज्जुमार्ग

Scanned by CamScanner

का संचालन बन्द करने से पूर्व जिला प्रशासन को सूचना दी जायेगी तथा यात्रियो को सूचित करने हेतु परियोजना सीमा मे विशिष्ठ स्थानो पर बैनर लगाये जायेगे। रज्जुमार्ग चालक रस्सी की मोटाई तथा टूटी हुई तारों की जांच मैग्नेटो ग्राफ से किया जायेगा। सभी भार वाहन करने वाली पिनो व शैफट तथा अन्य सवेंदी उपकरणो जैसे ग्रिप्स व हैंगर की नियमित जांच अल्ट टेस्टिंग से की जायेगी। सभी टर्मिनल स्टेशनो पर आपातकालीन पुश बटन लगे होगें जिससे आवश्यकता पडने पर रोप वे रोकी जा सकती है। गुण्डाला/केबिन मे ताले वाले दरवाजे होगें जो यात्रियो द्वारा अन्दर से नही खोले जा सकते है। केबिनो के फंस जाने जैसी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए यात्रियो को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रबन्ध किये जायेगें इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया जायेगा जो यात्रियो के बचाव करने तथा प्राथमिक चिकित्सा देने मे सक्षम होगी। कम्पनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार सीएसआर कार्यकम आयोजित किये जायेगे तथा उसका अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। इस प्रकार इस परियोजना की स्थापना एवं संचालन से क्षेत्र का विकास होगा एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ होगी।

इसके बाद बैठक मे उपस्थित जन समुदाय द्वारा उठाई गई आपत्तियो के प्रश्नवार उत्तरों का विवरण निम्न है

प्रश्न–01.राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री ब्रजमोहन सिंह ग्राम कांडी खेडा कर्वी जनपद–चित्रकूट द्वारा पूछा गया कि इस रोपवेज के संचालनके उपरान्त प्रति व्यक्ति किराया कितना होगा, क्या छोटे बच्चों के लिए क्या कोई छूट मिलेगी जो बच्चे गोद मे होंगे क्या उनका भी टिकट लगेगा इसके अतिरिक्त घूमने व टहलने आदि की क्या व्यवस्था होगी?

उत्तर– श्री अभयराज प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा अवगत कराया गया कि प्रति व्यक्ति आने जाने का किराया 50 रूपये अतिरिक्त स्थानीय कर निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है। जो कि टिकट डिलवरी टाइम से तीन घंटे की अवधि तक मान्य होगा इसमे 110 से0मी0 से कम उचाई के बच्चो को टिकट के मूल्य मे 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी 02 वर्ष से कम उम्र के बच्चो का कोई टिकट नही लगेगा तथा 65 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्तियो को आयु का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार टिकट मूल्य मे छूट का प्राविधान किया जायेगा। इस परियोजना का लाभ लेने के लिए यात्रियो को परिचय पत्र लाना आवश्यक होगा जिससे कि कोई अप्रिय घटना घटित होने पर प्रभावित व्यक्ति को नियमानुसार बीमा का लाभ प्राप्त हो सके।

प्रश्न– श्री हिमान्शु सोनी पुत्र श्री हीरालाल सोनी, कर्वी जनपद–चित्रकूट द्वारा पूछा गया कि परियोजना का संचालन कब से प्रारम्भ किया जाएगा तथा सम्बनिघत दुर्घटना की स्थिति में आपात चिकित्सा की क्या व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त महिला यात्रियों की सहायता के लिए महिला सुरक्षाकर्मियों की क्या कोई व्यवस्था की जाएगी?

Scanned by CamScanner

उत्तर– श्री अभयराज सिंह प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा अवगत कराया गया कि इस परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति सम्भवतः मई 2017 तक प्राप्त हो जाएगी उसके 6 माह उपरान्त सम्भवतः 2017 से परियोजना का संचालन प्रारम्भ कर दिया जाएगा तथा महिला यात्रियों की सहायता के लिए महिला सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था की जाएगी।

प्रश्न– श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी पुत्र श्री शिव औतार चतुर्वेदी, कर्वी जनपद–चित्रकूट द्वारा पूछा गया कि रोपवेज के दैनिक संचालन का समय क्या होगा? तथा आपात स्थिति में किसी यात्री को चोट लग जाने पर क्या व्यवस्था की जाएगी? इसके अतिरिक्त यात्रियों के आंशिक ठहराव की क्या कोई व्यवस्था की जाएगी?

उत्तर– श्री अभयराज सिंह प्रोजेक्ट प्रोपेनेन्ट द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त रोपवे का संचालन प्रातः 6 बजे से सायं 9 बजे तक किया जाएगा, जिसका समय आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है। इसका दैनिक उपयोग अधिकतम 22 घण्टे एवं 330 दिन प्रतिवर्ष किया जा सकता है और शेष दिनों में उक्त रोपवेज का मेन्टीनेन्स एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से संचालन नहीं किया जाएगा। यात्रियों के ठहराव के लिए लोवर एवं अपर टर्मिनल स्टेशनों पर अंशकालिक ठहराव के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

प्रश्न– श्री अरुण कुमार त्रिपाठी पति, प्रधान ग्राम– खोही, जनपद– चित्रकूट द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना के समीप तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का क्या कार्य किया जाएगा?

उत्तर– श्री अभयराज सिंह प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट द्वारा अवगत कराया गया कि जियोटेक्स्टाइल का उपयोग करके उक्त सन्दर्भित तालाब का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाएगा।

प्रश्न– श्री अरुण कुमार त्रिपाठी पति, प्रधान ग्राम– खोही, जनपद– चित्रकूट द्वारा पुनः जानकारी चाही गई कि क्या इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा? इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना के संचालन के उपरान्त इस ग्राम पंचायत के लोगों को टिकट के शुल्क में कोई छूट दी जाएगी।

उत्तर– डा0 कल्याण सिंह यादव, क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, झांसी–चित्रकूट, चित्रकूटधाम मंडल द्वारा अवगत कराया गया कि जनसहभागिता के आधार पर यह परियोजना स्थापित की जा रही है। इसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा स्थानीय लोगों को योग्यता के अनुसार उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जिस ग्राम पंचायत में यह परियोजना स्थापित की जा रही है उस ग्राम पंचायत के लोगों को परियोजना का लाभ लेने हेतु टिकट मूल्य में 50 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव है।

Scanned by CamScanner

अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, जनपद चित्रकूट द्वारा अवगत कराया गया कि इस परियोजना के संचालन से इस ग्राम पंचायत व स्थानीय लोगों का विकास होगा, स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। लक्ष्मण पहाडी का भी जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। जिसके फलस्वरूप वृद्ध, बच्चे, एवं असहाय व्यक्ति भी लक्ष्मण पहाडी का सुगमतापूर्वक यात्रा कर सकेंगे। इस परियोजना के साथ–साथ समीप में स्थित तालाब का भी जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किया जाएगा इस प्रकार इस परियोजना के कियान्वयन के उपरान्त पर्यटकों के आवागमन में भी वृद्धि होगी जिसका लाभ स्थानीय लोगों तथा क्षेत्र का विकास होगा।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बांदा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी जनसमुदाय से प्रस्तावित परियोजना की स्थापना के सम्बन्ध में सहमति चाही गयी जिस पर बैठक में उपस्थित जनसमुदाय ने करतल ध्वनि से अपनी सहमति व्यक्त की। इसी मन्तव्य के साथ उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई की बैठक का समापन किया गया तथा अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थिति जनसमुदाय को धन्यवाद प्रस्तुत किया गया।

27/01/17

(डा0 कल्याण सिंह यादव)
क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी
झांसी/चित्रकूटधाम मण्डल
झॉसी।

27-1-2017

(विजय कुमार मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बांदा

27-1-17

(विजय नारायण पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व)
कर्वी, जनपद चित्रकूट

Scanned by CamScanner

Minutes of Public Hearing

Proceeding of Public Hearing under chairmanship of Sh. Vijay Narayan Pandey, Additional D.M. (Finance/ Revenue), Chitrakoot, for the proposed Chitrakoot Ropeway by M/S Chitrakoot Ropeways (P) Ltd. near Laxman Pahari, village- Khohi, Karvi, Distt. Chitrakoot, Uttar Pradesh having total area 96298 Sqm, elevation 200 m and alignment length 556.99 m through M/S Perfact EnviroSolutions (P) Ltd., 5th Floor, NN Mall, Sec-3, Rohini, New Delhi after having permission from MOEFCC, Govt. of India under the provision of Notification No. SO 1533(a) dated 14.09.2006 and subsequent amendment SO 3067 dated 1.12.2009 for Environment Clearance at 11.30 A.M. on 27.01.2017 at the proposed project at Laxman Pahari, Village Khohi, Karvi, Distt. Chitrakoot, U.P. as follows:

As per Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow vide letter no. F 92171/C-2/NOC-4193/2016 dated 19.12.2016which has been addressed to District Magistrate and R.O. to conduct Public Hearing after having fixed date, time and place permitted from UPPCB. It has been advertised in Daily newspaper "Amar Ujala" in hindin and in "Indian Express" in English on 27.12.2017 one month before the public hearing which has been organised on 27.01.2017 at proposed Laxman Pahari, cillage Khohi, Karvi, distt. Chitrakoot, U.P. Proceeding of the same is given below: -

With the due permission of the Chairman, R.O., UPPCB, Banda the proposed project was briefed to the officers, employees and public. The proposed project is a joint venture of U.P. Tourism and M/S Chitrakoot Ropeways Pvt. Ltd. It's total area is 9629.9 sqm, elevation is 200 m and alignment length is 556.99 m. In regard of the proposed project Mr. Praveen Bhargava from M/S Perfact Enviro Solutios Pvt. Ltd., New Delhi was requested to explain the above said project.

Mr. Praveen Bhargava, M/S Perfact Enviro Solutions briefed that the proposed project locations is famous with the name of Laxman Pahari which lies in Village Khohi, Karvi, distt, Chitrakoot, U.P. It is an aerial ropeway of Length 256.99 m. It comes under Schedule 7(g) as per the EIA Notification,2006. As Madhya Pradesh fall in 5 km radius of this ropeway therefore, the ropeway will be constructed under A category. The upper terminal point is in north of Laxman Temple and lower terminal point is in forest area which lies in south of Parikarma Marg whose vehicle capacity is 452 PPH. The estimated total project cost is Rs. 874.62 Lacs. The application for Environmental Clearance of the proposed project was submitted in 14.09.2016 BY NABET approved consultant to MOEFCC. The proposed project was granted TOR on 28.11.2016 vide letter no. 10-68/2016-I A-3. The EIA has been prepared according to the secondary data and field monitoring.

The total land required for the project is 9629.9 sqm out of which the length of ropeway will be 256.99 m. Total no. of cabins will be 6 up and down. The capacity of each cabin will be 6 persons. The time involved in each round will be 2.39 minutes for the work limit of 10 hours which can be extended till 22 hours a day. The technology involved in the ropeway is Mono Cable Fixed Grip Gondola System.

The visitors capacity of the ropeway is 4550 which includes 30 officers and employees, who will consume approximately 32 KLD water out of which 24 KLD water will be treated water for

which septic tank along with Biological Treatment Tank shall be provided so that more and more water shall be used.

In the above mentioned project the electricity from main grid shall be used for which 1 DG Set of 120 KVA capacity shall be kept for back-up which shall be acoustically enclosed for which height shall be maintained for exhaust gases. The air pollution caused in the initial stage of the project shall be controlled by sprinkling of water time to time. The labour working at the places which have more dust shall be given masks. The under-construction buildings shall be covered with green cloth and dust generated due to the drilling work shall be collected with JCB dust collector. The vehicles involved in Transporting the building material shall be covered with tarpaulin and it will be ensured that they have their PUC Certificates.

Noise Pollution is mainly caused during construction work by machines like DG Sets and other activities like hammering, drilling etc. and by vehicles. To control this noise pollution the machines shall be kept in a closed room on shock resistant pad. For preventing noise pollution, it shall be taken care that less of motor vehicles and no old vehicles shall be used.

Appropriate arrangement shall be made for the disposal of solid waste of 683 kg. /day being produced by this project. Out of this 205 kg. / day compost manure from recyclable solid waste shall be produced after processing from Municipal Solid Waste plant and the same shall be used in the plantation at site.

Hazard waste in the form of used oil from the DG sets and other machineries shall be sold to authorized vendors. And for its temporary storage proper arrangement shall be made to stop its adverse impact on environment.

Utility of Project

Secio-economic condition shall be strong by implementation of this project and there will be no displacement of human population. There will be generation of employment by this project and possibilities of increment in the population of tourist / pilgrims shall also be there, accordingly revenue of UP Govt. shall also increase. Old, children and especially abled people shall also be able to have a safe & convenient travel.

Safety measures & Emergency management plan

In this project structure of entire ropeway shall be of steel which shall be anchored on concrete foundation. Repair & maintenance of the same shall be done regularly. District administration shall be properly informed before closing of operation of this ropeway and for the information of tourist within the periphery of project banner shall be displayed at all the designated places. The ropeway operator will undertake rope testing through magnetograph to ascertain the thickness of the rope and broken wires. All load bearing pins and shaft and critical components as grips and hangers shall be tested using ultra testing. Emergency push buttons shall be at all stations to stop the ropeway, if required. The Gondolas shall be provided with door lock, which cannot be opened by the passengers. The ropeway system shall be provided with a rescue arrangement to enable the passengers being evacuated in

case of emergency where cabins are stranded on line. An Emergency Management Cell shall be formed, so that at the time of any emergency, the team can work as a coordinator between all affected tourists and medical facilities / requisite measures. As per the need of company act 2013, programme of Corporate Social Responsibility shall be organized & compliance of the same shall be done. By establishment of this project development of this area and financial status shall be strong.

After this, Summarised question wise reply of objections raised by the people present in the meeting are as follows:

Que-1 Rajender Singh s/o Shri Brijmohan singh, vill.- Kandi Khera karvi, distt. Chitrkoot has asked that during operation what will be fare per person. Whether any discount for small children is there. Whether ticket will be charged for infant. Is there any other facilities for roaming & strolling?

Ans.: Shri Abhay Raj, project proponent responded that the people that it has been proposed to charge Rs. 50/= plus local tax per person to & fro, which shall be valid for three hours from the time of delivery of ticket, 50% rebate shall be given to the children having their height less than 110 Cms. Children of up to 2 years of age shall not be charged any ticket and the provision of discount shall also be made as per rule for person of more than 65 years of age on presentation of their age proof. To get benefit of this project, passengers will have to bring their valid ID proof compulsory so that in case of any untoward incident, affected person can be compensated as per benefit of insurance.

Que: Shri Himanshu Soni s/o Heera lal Soni, karvi, Distt. Chtrakoot has asked that when this project shall be in operation and what is the arrangement of medical facility has been made in case of emergency or accidental. Whether any arrangement of ladies volunteers / security guards to help the ladies passengers.

Ans.: Shri Abhay Raj, project proponent responded that Environment clearance for this project probably we will get by May 2017, after 6 months probably by the end of 2017 this project may be operational and there will be arrangement of ladies volunteers / security guards to help the ladies passengers.

Que.: Shri pankaj Kumar Chaturvedi s/o Shri Avtar Chatirvedi karvi, Distt. Chtrakoot has asked that what will be daily timing of operation & in case of any passenger wounded, what is the emergency arrangement has been made. Other than this is there any arrangement has been made for partial stoppage.

Ans.: Shri Abhay Raj, project proponent responded that this ropeway will start operation from morning 6 am to evening 9 pm, this can be extended as per the need. Daily use of this shall be maximum of 22 hours. & 330 days per year can be done and balance days shall be kept from the safety angle, ideal for maintenance purpose. There will be proper arrangement for partial stoppage at Upper and Lower level station.

Que.: Shri Arun Kumar tripathi w/o Pradhan, Vill-khohi, distt. Chitrakoot has asked that what will be done for beautification and renovation of nearby ponds of the project.

Ans.: Shri Abhay Raj, project proponent responded that by using geotextile, beautification and renovation of nearby ponds of the project shall be done.

Que.: Shri Arun Kumar tripathi w/o Pradhan, Vill-khohi, distt. Chitrakoot has again wanted to know that whether employment to the local resident shall be provided by this project. Other than this whether any discount in the price of ticket shall be available for the members of Gram Panchayat.

Ans.: Dr, Kalyan Singh Yadav, Regional Tourism Officer, Jhanshi-Chitrkootdham manadal has responded that this project is being established by public participation. Special care is to be kept with regard to quality or work and local people preferably shall be provided employment as per their ability Other than this there will be proposal for 50 % discount in the price of ticket for the members of local Gram Panchayat where this project is coming up.

ADM, Finance & Revenue, Distt. Chitrkoot has announced that by the operation of this project Gram Panchayat will get boosted & local people will have opportunity of getting employment. Beautification and renovation work of Laxman Pahari shall be done. Resulting this, Laxman pahari area may be easily travel by children & helpless & old people. Along with this project work Beautification and renovation of nearby ponds shall be done. With the implementation of this project there will be significant increase in the visiting population of tourist accordingly local people benefited & area will also grow.
In the end RO, UPPCB, Banda has seek consent towards establishment of this project from the people present in the meeting, which has been cordially accepted with a huge claps of both the hands. With this intension for the environmental clearance of the proposed project meeting was concluded and vote of thanks being given to Chairman & the people present in the meeting.

Dr. Kalyan Singh Yadav	**Vijay Kumar Mishra**	**Vijay Narayan Pandey**
Regional Tourist Officer	Regional Officer	A. D. M. (Finanace & Revenue)
Jhanshi/Chitrkootdham	UPPCB, Banda	Karvi, Distt. Chitrkoot
Jhanshi		